होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक पदाधिकारियों से संबंधित मिसलीनियस शासनादेश/मुख्यालय के आदेश

क्र0 सं0	दिनांक	शासनादेश/मुख्यालय के आदेश संख्या-	विवरण	**पृष्ठ संख्या**
1	27-02-1992	मुख्यालय का आदेश- एक-141/1973	भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्डस के नियतन में 10प्रतिशत वृद्धि के फलस्वरूप जनपदवार अवैतनिक अधिकारियों एवं होमगार्डस स्वयंसेवकों का निर्धारण।	**02**
2	22-08-1997	मुख्यालय का आदेश-4059/स्था0/पीएडीजी/49/1990	होमगार्डस संगठन के रैंक-बैज का पुनर्निर्धारण किये जाने के संबंध में।	**06**
3	20-08-2008	मुख्यालय का आदेश-4520/स्था0/एक-333/2001	विभिन्न जनपदों में होमगार्डस स्वयंसेवकों की क जनशक्ति तथा कम्पनी की जनशक्ति का पुनर्निधारण ।	**08**
4	21-05-2020	शासनादेश-25/2020 /849/95-2020-54प्रकीर्ण/2007	होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों को संघों/एसोसिएशनों को मान्यता नही दिये जाने के संबंध में।	**14**
5	13-02-2023	शासनादेश-238/95-2023-90होगा/90	होमगार्डस विभाग के मानदेय प्राप्त अवैतनिक अधिकारियों के पदों की दिनांक-29-02-2024 तक निरन्तरता बढ़ाये जाने के संबंध में।	**17**
6	20-03-2023	शासनादेश-12/2023/245/पन्चानबे-2023	हामगार्डस विभाग के वैतनिक/अवैतनिक संवर्ग के समस्त पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को **"**इन्सिग्निया**" (**सम्मान सूचक चिन्ह) धारण किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।	**19**

होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

परिपत्र संख्याः एक-141/1973, **दिनांकः फरवरी 27 , 1992**

1-समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
2-समस्त जिला/नगर कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।

विषयः भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स के नियतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि के फलस्वरूप जनपदवार अवैतनिक अधिकारियों एवं स्वयंसेवको की संख्या का निर्धारण।

कृपया उक्त विषयक मुख्यालय के समसंख्यक परिपत्र दिनांकः 17 मई 1990 का सन्दर्भ लें। उपरोक्त के द्वारा प्रत्येक कम्पनी तथा अतिरिक्त प्लाटून्स की संख्या में वृद्धि के आदेश दिये गये थे जिसके अनुसार उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स का कुल नियतन 1,23,920 होता था जबकि भारत सरकार के द्वारा की गई 10 प्रतिशत की वृद्धि की दर से कुल नियतन 1,23,420 होना चाहिए। भारत सरकार ने यह अपेक्षा की है कि प्रदेश का होमगार्ड्स का नियतन वहीं होना चाहिए जो उनके द्वारा निर्धारित किया गया है। अतः उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में होमगार्ड्स कम्पनियों तथा प्लाटूनों की संख्या निम्नानुसार निर्धारित की जाती है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियतन के अनुसार गोरखपुर एवं मुरादाबाद मण्डल की कम्पनियों में अन्य मण्डलों की कम्पनियों की अपेक्षा एक-एक होमगार्ड की संख्या कम की गयी है:-

(क) गोरखपुर तथा मुरादाबाद मण्डल में होमगार्ड्स कम्पनी की संरचना:

अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर	-	1
अवैतनिक सेकेण्ड इन कमाण्ड	-	1
कम्पनी हवलदार मेजर	-	1
प्लाटून कमाण्डर	-	3
प्लाटून हवलदार	-	3
सेक्शन लीडर	-	9
होमगार्ड्स	-	84
		योग 102

उपरोक्त मण्डलों की कम्पनियों से कम्पनी क्वार्टर मास्टर तथा कम्पनी प्रवोष्ट का पद कम कर दिया गया है।

(ख) गोरखपुर व मुरादाबाद मण्डल के अतिरिक्त अन्य सभी मण्डलों के कम्पनियों की संरचना।

अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर	-	1
अवैतनिक सेकेण्ड इन कमाण्ड	-	1
कम्पनी हवलदार मेजर	-	1
अवैतनिक कम्पनी क्वार्टर मास्टर	-	1
अवैतनिक प्लाटून हवलदार	-	3
सेक्शन लीडर	-	9
होमगार्ड्स	-	84
		योग 103

इन कम्पनियों से कम्पनी प्रवोष्ट का पद कम किया गया है।

(ग) **पर्वतीय क्षेत्र की अतिरिक्त प्लाटून की संरचना**

प्लाटून कमाण्डर	-	1
प्लाटून हवलदार	-	1
सेक्शन लीडर	-	3
होमगार्ड्स	-	28
	योग	33

समस्त मण्डलों की कम्पनियों तथा पर्वतीय क्षेत्र के प्लाटूनों की पुनरीक्षित संरचना के अनुसार प्रत्येक प्लाटून में 33 व्यक्ति होगें। प्लाटून स्तर के अवैतनिक अधिकारियों को कम करने के पश्चात् एक प्लाटून में 28 होमगार्ड्स शेष रह जाते हैं। इस संख्या से 3 सेक्शन निर्मित होगें जिसमें 2 सेक्शनों में नौ-नौ होमगार्ड तथा एक सेक्शन दस होमगार्ड सेक्शन लीडर सहित रखे जायेंगें।

उपरोक्त के अनुसार प्रत्येक कम्पनी तथा प्लाटून की संख्या सुनिश्चित की जाये तथा यदि किसी स्तर पर अवैतनिक अधिकारियों एवं स्वयंसेवकों की संख्या निर्धारित संख्या से अधिक हो तो उसका समायोजन मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीतियों के अनुसार तुरन्त करके परिपालन सूचना इस मुख्यालय को 15 अप्रैल, 1992 तक भेजी जाय। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अवैतनिक अधिकारी के पद (कम्पनी क्वार्टर मस्टर तथा कम्पनी प्रवोष्ट) कम किये गये है उनपर यदि कोई व्यक्ति सेवारत हो और वह उससे नीचे के रिक्त पद अथवा होमगार्ड्स के पद पर सेवा करना चाहता है तो उसे उस पद पर खपा लिया जाये।

संबंधित मण्डलीय कमाण्डेन्ट अपने मण्डल में उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करायें तथा मुख्यालय को यह प्रमाण-पत्र भेजें कि उन्होंने अपने मण्डल के सभी कम्पनियों का नियतन ठीक करा दिया है। जनपदवार कम्पनियों तथा स्वयंसेवकों की संख्या का विवरण भी साथ में संलग्न किया जा रहा है।

संलग्नकः यथोक्त।

(सतीश कुमार मुकर्जी)
महासमादेष्टा

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1- कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड्स, लखनऊ।
2- स्टाफ आफिसर टु कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स मुख्यालय।
3- स्टाफ आफिसर टी०एण्ड क्यू०, होमगार्ड्स मुख्यालय।
4- लेखा एवं प्रशासकीय अधिकारी, होमगार्ड्स मुख्यालय।
5- समस्त कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
6- प्रशासनिक अधिकारी स्थापना/लेखा, होमगार्ड्स मुख्यालय।
7- मुख्यालय की गार्ड फाइल पर अभिलेखार्थ।

(सतीश कुमार मुकर्जी)
महासमादेष्टा

परिशिष्ट

क्र0सं0	जनपद का नाम	नगर शाखा				कुल कम्पनी	नगर संगठन की सं0	ग्रामीण शाखा			जनपद के कुल होमगार्ड्स की संख्या	कुल कम्पनी की संख्या
		पुरूष		महिला				कम्पनी	प्लाटून	ग्रामीण संगठन की सं0		
		कम्पनी	प्लाटून	कम्पनी	प्लाटून							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	आगरा	18	-	02	-	20	2060	15	-	1545	3605	35
2.	अलीगढ़	11	-	01	-	12	1236	17	-	1751	2987	29
3.	एटा	04	01	-	02	05	515	15	-	1545	2060	20
4.	मैनपुरी	01	01	-	02	02	206	09	-	927	1133	11
5.	मथुरा	07	-	01	-	08	824	12	-	1236	2060	20
6.	फिरोजाबाद	05	-	-	-	05	515	09	-	927	1442	14
7.	इलाहाबाद	16	-	02	-	18	1854	27	-	2781	4635	45
8.	फतेहपुर	-	02	-	01	01	103	13	-	1339	1442	14
9.	प्रतापगढ़	-	02	-	01	01	103	15	-	1545	1648	16
10.	कानपुर	36	-	04	-	40	4120	20	-	2060	6180	66
11.	इटावा	03	01	-	02	04	412	14	-	1442	1854	18
12.	फतेहगढ़	04	01	-	02	05	515	14	-	1442	1957	19
13.	बरेली	13	-	01	-	14	1442	15	-	1545	2987	29
14.	बदायूं	03	02	-	01	04	412	18	-	1854	2266	22
15.	पीलीभीत	02	02	-	01	03	309	07	-	721	1030	10
16.	शाहजहांपुर	05	01	-	02	06	618	14	-	1442	2060	20
17.	बहराइच	01	02	-	01	02	206	19	-	1957	2163	21
18.	बाराबंकी	01	02	-	01	02	206	16	-	1648	1854	18
19.	फैजाबाद	04	01	-	02	05	515	18	-	1854	2369	23
20.	गोण्डा	03	02	-	01	04	412	25	-	2575	2987	29
21.	सुल्तानपुर	-	02	-	01	01	103	19	-	1957	2060	20
22.	आजमगढ़	01	02	-	01	02	204	21	-	2142	2346	23
23.	बस्ती	01	02	-	01	02	204	19	-	1938	2142	21
24.	देवरिया	02	02	-	01	03	306	29	-	2958	3264	32
25.	गोरखपुर	07	-	01	-	08	816	19	-	1938	2754	27
26.	मऊ	02	-	-	-	02	204	09	-	918	1122	11
27.	सिद्धार्थनगर	-	-	-	-	-	-	13	-	1326	1326	13
28.	महराजगंज	-	-	-	-	-	-	12	-	1224	1224	12
29.	बांदा	02	02	-	01	03	309	13	-	1339	1648	16
30.	हमीरपुर	02	02	-	01	03	309	11	-	1133	1442	14
31.	जालौन	03	02	-	01	04	412	09	-	927	1339	13
32.	झांसी	07	01	-	02	08	824	08	-	824	1648	16
33.	ललितपुर	-	02	-	01	01	103	06	-	618	721	07
34.	बुलन्दशहर	05	01	-	02	06	618	19	05	1957	2575	25
35.	गाजियाबाद	05	01	-	02	06	618	10	-	1030	1648	16
36.	मेरठ	12	02	01	01	14	1442	16	-	1648	3090	30
37.	मुजफ्फरनगर	07	-	01	-	08	824	14	-	1442	2266	22
38.	सहारनपुर	08	-	02	-	10	1030	11	-	1133	2163	21
39.	हरद्वार	05	-	-	-	05	515	05	-	515	1030	10
40.	हरदोई	03	02	-	01	04	412	19	-	1957	2369	23
41.	खीरी	02	02	-	01	03	309	15	-	1545	1854	18
42.	लखनऊ	23	02	02	01	26	2678	01	-	824	3502	34
43.	रायबरेली	-	02	-	01	01	103	16	-	1648	1751	17
44.	सीतापुर	03	02	-	01	04	412	19	-	1957	2369	23
45.	उन्नाव	-	02	-	01	01	103	16	-	1648	1751	17

46.	बलिया	01	02	-	01	02	206	17	-	1751	1957	19
47.	गाजीपुर	01	02	-	01	02	206	16	-	1648	1854	18
48.	जौनपुर	01	02	-	01	02	206	20	-	2060	2266	22
49.	मिर्जापुर	03	02	-	01	04	412	12	-	1236	1648	16
50.	वाराणसी	02	-	02	-	23	2369	22	-	2266	4635	45
51.	सोनभद्र	-	-	-	-	-	-	08	-	824	824	08
52.	बिजनौर	06	01	-	02	07	714	11	-	1122	1836	18
53.	मुरादाबाद	15	-	02	-	17	1734	19	-	1938	3672	36
54.	रामपुर	05	02	-	01	06	612	06	-	612	1224	12
55.	अल्मोड़ा	-	-	-	-	-	-	-	20	660	660	-
56.	नैनीताल	02	01	-	02	03	309	06	8+5	618+42	1356	09
57.	पिथौरागढ़	-	-	-	-	-	-	-	14	462	462	-
58.	चमोली	-	-	-	-	-	-	-	15	495	495	-
59.	देहरादून	05	-	01	-	06	618	02	08	206+264	1088	08
60.	उत्तरकाशी	-	-	-	-	-	-	-	07	231	231	-
61.	टेहरी गढ़वाल	-	-	-	-	-	-	-	14	462	462	-
62.	पौड़ी गढ़वाल	-	-	-	-	-	-	-	19	627	627	-

होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पत्रांक 4059/स्था०/पीएडीजी/40/1990 **दिनांकः अगस्त 20/22, 1997**

कार्यालय ज्ञाप

महानिदेशक नागरिक सुरक्षा, गृहमंत्रालय, भारत सरकार के अध्यक्षता में सम्पन्न 11वीं नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड्स के द्विवार्षिक सम्मेलन में होमगार्ड्स के वैतनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा धारण किये जाने वाले बैजेज आफ रैंक्स के सम्बन्ध में समिति की संस्तुतियॉ सर्वसम्मति से स्वीकार की गयी है, जिसे महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-छः-1402/41/97-डीजीसीडी(रीडी), दिनांक 11-8-97 के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराया गया है। बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर होमगार्ड्स संगठन के वैतनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रैंक बैजेज पूर्व निर्गत आदेशों को अतिक्रमित करते हुए निम्नानुसार होंगे।

क्र0सं0	**पदनाम**	**धारण किये जाने वाले रैंक बैजेज**
1-	डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल	अशोक क्राउन, तीन पॉच कोने के सफेद धातु के स्टार के साथ
2-	सीनियर स्टाफ आफिसर/ डिवीजनल कमाण्डेन्ट तथा उनके समकक्ष पदधारक	
	1-तीन वर्ष से कम की सेवा पर	अशोक क्राउन
	2-तीन वर्ष से पॉच वर्ष की सेवावधि तक	अशोक क्राउन एक पॉच कोने के सफेद धातु के स्टार के साथ
	3-आठ वर्ष की सेवावधि के पश्चात्	अशोक क्राउन, दो पॉच कोने के सफेद स्टार के धातु के साथ
3-	जूनियर स्टाफ आफिसर, जिला कमाण्डेन्ट तथा समकक्ष पदधारक	
	1-दो वर्ष से कम की सेवा पर	एक पॉच कोने के सफेद धातु के स्टार
	2-दो से पॉच वर्ष की सेवावधि तक	दो पॉच कोने के सफेद धातु के स्टार
	3-पाँच वर्ष की सेवावधि के पश्चात	तीन पाँच कोने के सफेद धातु का स्टार
4-	इन्सपेक्टर/ कम्पनी कमाण्डर तथा उनके समकक्ष पदधारक	तीन पाँच कोने के पीतल के स्टार रिबन के साथ
5-	प्लाटून कमाण्डर तथा उसके समकक्ष पदधारक	दो पाँच कोने के पीतल के स्टार रिबन के साथ
6-	ब्लाक आर्गनाइजर तथा उसके समकक्ष पदधारक	एक पाँच कोने का पीतल का स्टार रिबन के साथ

7-	हवलदार उसके समकक्ष सभी कर्मचारी	तीन फीते
8-	नायक हवलदार तथा समकक्ष	दो फीते
9-	लान्स नायक	एक फीता

(2) उपरोक्त पदधारकों के स्टार राज्य पुलिस विभाग के समकक्ष पदधारकों द्वारा धारण किये जाने वाले स्टार के ही अनुरूप होगें तथा अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा खाकी रंग की सीटी रंग स्टार की ओर धारण किये जायेगें। तथा उनका आकार नहीं होगा जैसाकि उत्तर प्रदेश, पुलिस विभाग के पदधारको द्वारा धारण किया जाता है। विभाग के पदधारकों द्वारा धारण किया जाता है।

(4) क्रम संख्या-7,8 तथा 9 पर उल्लिखित पदधारकों द्वारा धारण किये जाने वाला फीता सफेद होगा और उसकी माप तथा आकृति उसी प्रकार होगी जैसाकि उत्तर प्रदेश पुलिस के समकक्ष पदधारकों के लिये निर्धारित है।

5- अवैतनिक अधिकारियों/स्वंयसेवकों के रैंक बैजेज पूर्व की भाँति यथावत रहेंगे, केवल अवैतनिक अधिकारियों द्वारा भी उपरोक्तानुसार काला/सफेद रिबन धारण किया जायेगा।

(वी०एन०मिश्र)
कमाण्डेन्ट जनरल।

<u>उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चत करने/कराने हेतु-</u>

1- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड्स मुख्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी/जूनियर स्टाफ अधिकारी, होमगार्ड्स मुख्यालय, लखनऊ।
3- कमाण्डेन्ट, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान, होमगार्ड्स, लखनऊ।
4- समस्त मण्डलीय कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, लखनऊ।
5- समस्त जिला कमाण्डेन्ट, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
6- समस्त कमाण्डेन्ट, जिला प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्ड्स, उत्तर प्रदेश।
7- प्रशासनिक अधिकारी, होमगार्ड्स मुख्यालय, लखनऊ।
8- कार्यालय अधीक्षक, स्थापना/लेखा, होमगार्ड्स मुख्यालय, लखलऊ।
9- मुख्यालय के गार्ड फाईल पर रखने हेतु
प्रतिलिपि मुख्यालय के समस्त अधिकारियों को भी आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(वी०एन०मिश्र)
कमाण्डेन्ट जनरल।

होमगार्ड्स मुख्यालय, उ0प्र0,लखनऊ।

संख्या: 4520/स्था0/एक-333/2001 दिनांक 20 अगस्त, 2008

कार्यालय ज्ञाप

(विभिन्न जनपदों में होमगार्डस स्वयंसेवकों की जनशक्ति तथा कम्पनी की जनशक्ति का पुननिर्धारण)

प्रदेश में इस समय 1138 कम्पनियों, विभिन्न जनपदों में में कार्यरत है, जिनकी जनशक्ति भिन्न-भिन्न दर्शायी गयी है। कम्पनियों की जनशक्ति की समीक्षा एवं पुननिर्धारण वर्ष 1972,वर्ष 1984 वर्ष 1989 तथा वर्ष 2000 में किया गया था। इसके उपरान्त जनपदों में नगरीय कम्पनियों की आवश्यकता तथा कम्पनी फारमेशन के सम्बन्ध में समीक्षा नहीं की गयी है। समय समय पर नये जनपदों का सृजन हुआ, जिनकी नगर कम्पनियों तथा महिला कम्पनियों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हुई, जिसके फलस्वरूप असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गयी है।

2- नये जनपदों के सृजन के फलस्वरूप एवं विभिन्न जनपदों में नगर क्षेत्रों की वास्तविक पुरूष एवं महिला जनशक्ति की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर होमगार्डस स्वयंसेवकों की स्वीकृति संख्या 1,17,000 में कोई परिवर्तन न करते हुए , मुख्यालय द्वारा पूर्व में निर्गत करते हुए समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए कम्पनियों की जनशक्ति तथा जनपदों में कम्पनियों की संख्या पुनर्निधारण निम्न प्रकार किया जाता है:-

(अ)- कम्पनियों की संरचना

1- प्रत्येक सेक्शन की जनशक्ति 10 की होगी जिसमें 9 होमगार्डस स्वयंसेवक तथा 01 सेक्शन लीडर रहेंगे।

2- तदनुसार प्रत्येक प्लाटून की जनशक्ति 32 की होगी, जिसमें 3 सेक्शन लीडर, 27 होमगार्डस स्वयंसेवक ,01 प्लाटून कमाण्डर(मानदेयी) तथा 01 प्लाटून सार्जेन्ट रहेगें।

3- इसी प्रकार प्रत्येक कम्पनी की जनशक्ति 100 की होगी, जिसमें 09 सेक्शन लीडर 81 होमगार्डस स्वयंसेवक, 03 प्लाटून कमाण्डर (मानदेयी) तथा 03 प्लाटून सार्जेन्ट, 01 कम्पनी (मानदेयी),01 सहायक कम्पनी कमाण्डर (मानदेयी), 01 कम्पनी सार्जेन्ट मेजर तथा 01 कम्पनी क्वार्टर मास्टर रहेंगे।

(ब) विभिन्न् जनपदों की पुरूष व महिला की पुननिर्धारित जनशक्ति-

जनपद		पुरूष कम्पनियां			पुरूष जनशक्ति	महिला नगर क्षेत्र		महिला जनशक्ति	कुल जनशक्ति
		ग्रामीण	नगर	कुल		महिला कम्पनियां	महिला स्वतंत्र प्ला0		
1-आगरा मण्डल									
1-	आगरा	15	18	33	3300	2	0	200	3500
2-	अलीगढ़	12	8	20	2000	1	0	100	2100

3-	हाथरस	7	3	10	1000	0	1	32	1032
4-	मथुरा	10	7	17	1700	1	0	100	1800
5	एटा	8	2	10	1000	0	1	32	1032
6-	काशीरामनगर	6	3	9	900	0	1	32	932
7-	मैनपुरी	9	2	11	1100	0	1	32	1132
8-	फिरोजाबाद	9	5	14	1400	0	2	64	1464
2-कानपुर मण्डल									
9	कानपुर नगर	10	36	46	4600	4	0	400	5000
10	कानपुर देहात	9	1	10	1000	0	1	32	1032
11	इटावा	8	2	10	1000	0	1	32	1032
12	औरैया	7	1	8	800	0	1	32	832
13	फतेहगढ़	7	3	10	1000	0	1	32	1032
14	कन्नौज	7	1	8	800	0	1	32	832
3-झांसी मण्डल									
15	झांसी	8	7	15	1500	1	0	100	1600
16	जालौन	9	4	13	1300	0	1	32	1332
17-	ललितपुर	6	1	7	700	0	1	32	732
18	बांदा	8	2	10	1000	0	1	32	1032
19	चित्रकूट	5	1	6	600	0	1	32	632
20	हमीरपुर	7	2	0	900	0	1	32	932
21	महोबा	4	1	5	600	0	1	32	632
4-इलाहाबाद									
22	इलाहाबाद	19	16	35	3500	2	0	200	3700
23	कोशाम्बी	7	1	8	800	0	1	32	832
24	फतेहपुर	13	1	14	1400	0	1	32	1432
25	प्रतापगढ़	15	1	16	1600	0	1	32	1632
5-वाराणसी मण्डल									

26	वाराणसी	7	20	27	2700	2	0	200	2900
27	चन्दौली	9	1	10	1000	0	1	32	1032
28	गाजीपुर	16	2	18	1800	0	1	32	1832
29	जौनपुर	20	2	22	2200	0	1	32	2232
30	मिर्जापुर	12	4	16	1600	0	1	32	1632
31	सोनभद्र	7	1	8	800	0	1	32	832
32	संत रविदास न0	5	1	6	600	0	1	32	632
6 - आजमगढ़ मण्डल									
33	आजमगढ़	21	3	23	2300	0	1	32	2332
34	मऊ	9	3	12	1200	0	1	32	1232
35	बलिया	17	2	19	1900	0	1	32	1932
7-गोरखपुर मंडल									
36	गोरखपुर	19	7	26	2600	1	0	100	2700
37	देवरिया	15	2	17	1700	0	1	32	1732
38	महाराजगंज	11	01	12	1200	0	1	32	1232
39	कुशीनगर	14	01	15	1500	0	1	32	1532
40	बस्ती	13	2	15	1500	0	1	32	1532
41	सं0कबीरनगर	5	1	6	600	0	1	32	632
42	सिद्वार्थनगर	12	1	13	1300	0	1	32	1332
8-फैजाबाद मण्डल									
43	फैजाबाद	11	5	16	1600	1	0	100	1700
44	अम्बेडकरनगर	9	1	10	1000	0	1	32	1032
45	सुल्तानपुर	19	1	20	2000	0	1	32	2032
46	बाराबंकी	14	2	16	1600	0	1	32	1632
47	गोण्डा	16	2	18	1800	0	1	32	1832
48	बलरामपुर	9	2	11	1100	0	1	32	1132
49	बहराइच	14	2	16	1600	0	1	32	1632

50	श्रावस्ती	4	1	5	500	0	1	32	532
9- लखनऊ मण्डल									
51	लखनऊ	8	31	39	3900	3	0	300	4200
52	हरदोई	19	4	23	2300	0	1	32	2332
53	सीतापुर	19	4	23	2300	0	1	32	2332
54	खीरी	15	3	18	1800	0	1	32	1832
55	रायबरेली	16	1	17	1700	0	1	32	1732
56	उन्नाव	16	1	17	1700	0	1	32	1732
10-बरेली मण्डल									
57	बरेली	15	13	28	2800	1	0	100	2900
58	बदायूं	18	4	22	2200	0	1	32	2232
59	पीलीभीत	7	3	10	1000	0	1	32	1032
60	शाहजहॉपुर	14	6	20	2000	0	1	32	2032
11-मुरादाबाद मण्डल									
61	मुरादाबाद	12	12	24	2400	1	0	100	2500
62	अमरोहा	7	3	10	1000	0	2	84	1084
63	बिजनौर	11	6	17	1700	1	0	100	1800
64	रामपुर	6	6	12	1200	0	1	32	1232
12-	मेरठ मंडल								
65	मेरठ	12	11	23	2300	1	1	132	2432
66	बागपत	5	2	7	700	0	2	64	764
67	बुलन्दशहर	15	5	20	2000	0	2	64	2064
68	गाजियाबाद	8	6	14	1400	1	0	100	1500
69	गौ0बुद्वनगर	4	6	10	1000	1	0	100	1100
70	मुजफफरनगर	14	7	21	2100	0	2	64	2164
71	सहारनपुर	11	9	20	2000	1	0	80	2080
	योग	785	341	1125	112500	25	60	4400	117000

नोट-

1- मात्र जनपद सहानपुर की महिला कम्पनी की जनशक्ति में अपवाद किया गया है, जिसकी जनशक्ति 80 होगी जिसमें 9 सेक्शन लीडर,63 होमगार्डस स्वयंसेवक,03 **प्लाटून कमाण्डर (मानदेयी)** , 03 **प्लाटून सार्जन्,** 01 **सहायक कम्पनी कमाण्डर (मानदेयी) तथा 01 कम्पनी कमाण्डर (मानदेयी) रहेगा। इस कम्पनी में एक सेक्शन की जनशक्ति 8 की होगी जिसमें एक सेक्शन लीडर तथा 07 होमगार्डस स्वयंसेवक रहेंगे। इस कम्पनी के एक प्लाटून की जनशक्ति , प्लाटून कमाण्डर (मानदेयी) तथा प्लाटून सार्जेन्ट सहित 26 की होगी।**

2- पूर्व में जिन जनपदों में पूरी महिला कम्पनी उपलब्ध नहीं थी, उनमें महिला प्लाटून पुरूष कम्पनी कमाण्डरों के अधीन कार्य करते थे। अब सभी जनपदों में सभी महिला कम्पनियों तथा महिला प्लाटूनों की प्रभारी कम्पनी कमाण्डर /प्लाटून कमाण्डर /अन्य अवैतनिक अधिकारी महिलाएं ही होंगी,जो आवश्यकतानुसार नई भर्ती की जायेंगी।

3- <u>नवसृजित पुरूष एवं महिला कम्पनियों तथा प्लाटूनों हेतु अवैतनिक अधिकारी</u>-

तालिका के अवलोकन से विदिन होगा कि जनपद गाजियाबाद, गौतमबुद्वनगर, लखनऊ,फैजाबाद तथा मऊ में अतिरिक्त पुरूष / महिला कम्पनियां सृजित की गयी है एवं विभिन्न जनपदों में कम से कम एक महिला प्लाटून सृजित किया गया है। इन कम्पनियों तथा प्लाटूनों के लिए अतिरिक्त मानदेय अधिकारी स्वीकृत न करके वर्तमान में उपलब्ध मानदेय अधिकारियों का समायोजन करते हुए निम्नानुसार व्यवस्थाए की जा रही है:-

1- जनपद गौतमबुद्वनगर में नवसृजित 06 पुरूष कम्पनी के प्रभारी, मानदेयी सहायक कम्पनी कमाण्डर होंगे, जो पद सहित जनपद गाजियाबाद में जनपद गौतमबुद्वनगर स्थानान्तरित किये जायेंगे। जनपद गौतमबुद्वनगर में सृजित एक प्रभारी महिला कम्पनी कमाण्डर के पद को भरने हेतु मानदेयी सहायक कम्पनी कमाण्डर (पुरूष) का एक पद जनपद गाजियाबाद से जनपद गौतमबुद्वनगर स्थानान्तरित किया जाता है। जनपद गाजियाबाद में सृजित एक महिला कम्पनी कमाण्डर के पद को भरने हेतु जनपद गाजियाबाद के मानदेयी सहा0 कम्पनी कमा0 (पुरूष) का एक पद अस्थगित किया जाता है।

2- जनपद गौतमबुद्वनगर की नवसृजित कम्पनियों हेतु वांछित 18 पुरूष प्लाटून कमाण्डरों तथा 03 महिला प्लाटून कमाण्डरों एवं जनपद गाजियाबाद की नवसृजित कम्पनियों हेतु वांछित 02 पुरूष प्लाटून कमाण्डरों तथा 01 महिला प्लाटून कमाण्डर के पदों को भरने हेतु जनपद सहारनपुर के 08, जनपद मुजफफरनगर के 06, जनपद मेरठ के 05,जनपद बागपत के 02 तथा जनपद बुलन्दशहर के 05 मानदेयी सहायक कम्पनी कमाण्डरों के पदों को आस्थगित किया जाता है।

3- लखनऊ नगर के 07 सहायक कम्पनी कमाण्डर , नवसृजित 07 पुरूष कम्पनियों के प्रभरी कम्पनी कमाण्डर के रूप में नियुक्त किये जायेंगे । लखनऊ नगर की नवसृजित 01 महिला कम्पनी की प्रभारी कम्पनी कमाण्डर के पद को भरने के लिए, लखनऊ के पुरूष सहायक कम्पनी कमाण्डर के 01 पद को आस्थगित किया जाता है । इन नवसृजित कम्पनियों हेतु अतिरिक्त वांछित 22 पुरूष प्लाटून कमाण्डरों तथा 02 महिला प्लाटून कमाण्डरों के पदों को भरने के लिए जनपद रायबरेली के 04,जनपद उन्नाव के 04, जनपद हरदोई के 04, जनपद

सीतापुर के 04, जनपद लखीनपुर खीरी के 04 तथा लखनऊ नगर के 04, मानदेयी सहायक कम्पनी कमाण्डरों के पदो को आस्थगित किया जाता है।

4- जनपद फैजाबाद के जनशक्ति बढ़ाकर बनायी एक अतिरिक्त महिला कम्पनी तथा 01 पुरूष कम्पनी के लिए अतिरिक्त् वांछित एक महिला कम्पनी कमाण्डर तथा 01 महिला प्लाटून कमाण्डर तथा दो पुरूष प्लाटून कमाण्डरों के पदों को भरने के लिए जनपद फैजाबाद के चार मानदेयी सहायक कम्पनी कमाण्डर (पुरूष)के पदों को आस्थगित किया जाता है।

5- जनपद मऊ में भी नवसृजित एक कम्पनी के प्रभारी कम्पनी कमाण्डर के पद को जनपद मऊ के एक सहायक कम्पनी कमाण्डर से भरा जायेगा। जनपद मऊ के नवसृजित एक स्वतंत्र महिला प्लाटून के प्लाटून कमाण्डर के पद को भरने के लिए जनपद मऊ के एक सहायक कम्पनी कमाण्डर (पुरूष) के पद को आस्थगित किया जाता है।

6- जनपद ज्यातिवाफुलेनगर तथा बागपत के 22 एवं जनपद हाथरस, कानपुर देहात, चित्रकूट, गोण्डा,कौशाम्बी, चन्दौली, सोनभद्र, रविदासनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संतकबीरनगर, सिद्वार्थनगर ,अम्बेडकरनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती तथा जनपद फिरोजाबाद के 1-1 सहायक कम्पनी कमाण्डर (मानदेयी) के पदों को आस्थगित करते हुए इन जनपदों के महिला प्लाटून के महिला प्लाटून कमाण्डरों के पद भरे जायेंगे।

8- इन पुनर्निधारण से कतिपय अन्य जनपदों में भी दो-दो अथवा एक-एक महिला प्लाटून जनशक्ति बढ़ाई गयी है। इन जनपदों में इन प्लाटूनों के लिए अतिरिक्त वांछित प्लाटून कमाण्डरों के पदो को भरने के लिए इन जनपदों के उतनी ही संख्या में , सहायक कम्पनी कमाण्डरों के पदों को आस्थगित किया जाता है।

नोट- प्रभारी कंपनी कमाण्डरों के पद पर नियुक्त किये नियुक्त किये गये पुरूष तथा महिला प्रभारी कम्पनी कमाण्डरों को सहायक कम्पनी कमाण्डर का ही मानदेय ही देय होगा। सहायक कम्पनी कमाण्डर के पदों को आस्थगित करके जो पुरूष तथा महिला प्लाटून कमाण्डर नियुक्त होंगे, उन्हें प्लाटून कमाण्डर का ही मानदेय देय होगा। जिन जनपदों में सहायक कम्पनी कमाण्डरों के पद आस्थगित किये गये है, वे आस्थगित ही बने रहेंगे तथा अग्रिम आदेशें तक नहीं भरा जायेगा। जिन कम्पनियों में से ये पद आस्थगित किये जायेंगे, उन कम्पनियों की जनशक्ति 100 के स्थान पर 99 बनी रहेंगी।

(जी0एल0शर्मा)

कमाण्डेन्ट जनरल

प्रतिलिपि:-

1- मुख्यालय के समस्त् अधिकारियों/समस्त मण्डलीय/जिला कमाण्डेन्ट को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2- डिप्टी कमाण्डेन्ट जनरल,के0प्र0सं0/इलाहाबाद/समस्त कमाण्डेन्ट जि0प्र0के।

3- समस्त जिलाधिकारी/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश।

4- प्रशासनिक अधिकारी एवं कार्यालय अधीक्षक(स्था0/ लेखा) होमगार्डस मुख्यालय।

5- मुख्यालय की गार्ड फाइल पर अभिलेखार्थ।

प्रतिलिपि प्रमुख सचिव, होमगार्डस विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित ।

संख्या-25/2020/849/पन्चानबे-2020-54 प्रकीर्ण/2007

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड अनुभाग लखनऊ, दिनांक : 21 मई, 2020

विषय : होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के संघों/एसोसिएशनों को मान्यता नहीं दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों के विभिन्न तथाकथित एसोसिएशन/संघ आदि के लेटर पैड पर विभिन्न शिकायतें अथवा मॉगें प्रस्तुत की जाती हैं। साथ ही, इन तथाकथित एसोसिएशन/संघ के स्वघोषित पदाधिकारियों द्वारा होमगार्डस स्वयंसेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों से चंदा वसूली आदि की कार्यवाही अवैध रूप से की जाती है और उन्हें गुमराह व भ्रमित किया जाता है।

2. होमगार्डस अधिनियम 1963 की धारा 9 (1) में होमगार्ड के अधिकार/विशेषाधिकार और संरक्षण के अन्तर्गत निम्नवत प्राविधानित है -

"जब कोई होमगार्ड धारा 8 के अन्तर्गत पुलिस के सहायक के रूप में ड्यूटी करने के लिए या आन्तरिक सुरक्षा बनाये रखने में सहायता करने के लिए बुलाया जाए,तो उसे वही अधिकार, विशेषाधिकार और संरक्षण प्राप्त होंगे, जो तत्समय प्रचलित किसी अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी पुलिस अधिकारी को प्राप्त हो और ऐसे अनुमेलनों तथा परिष्कारों के अधीन रहते हुए जो गजट में विज्ञप्ति द्वारा राज्य सरकार उसमें करे, उस पर पुलिस एक्ट 1861 और उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों या विनियमों के उपबन्ध उसी रीति से और उसी सीमा तक लागू होंगे मानो ऐसा होमगार्ड पुलिस बल में तदनुरूप पद धारण किये था जो वह तत्समय होमगार्डस में किये हुए हैं।"

3. इस प्रकार होमगार्डस बल पुलिस फोर्स के सहायक के रूप में ड्यूटी करने एवं/अथवा सार्वजनिक व्यवस्था तथा आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने में सहायता आदि करने जैसेमहत्वपूर्ण कामों में संलग्न

...............2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

होते हैं। इन कार्यो की महत्ता के दृष्टिगत सार्वजनिक व्यवस्था को बनाये रखने की जिम्मेदारी बनाये रखने वाले बलों के सदस्यों हेतु भारतीय संसद द्वारा पुलिस बल (अधिकारों पर प्रतिबन्ध) अधिनियम-1962 पारित किया गया है।

4. उक्त अधिनियम की धारा 2 में पुलिस बल एवं पुलिस फोर्स के सदस्यों को निम्नवत परिभाषित किया गया है -

"2(a) "member of police force" means any person appointed or enrolled under any enactment specified in the Schedule;

2(b) "police-force" includes any force charged with the maintenance of public order;"

5. इसी अधिनियम की धारा 3 में संघ बनाने के अधिकार तथा अभीव्यक्ति की स्वतंत्रता को निम्न प्रावधानों से प्रतिबंधित किया गया है -

"3(I) No member of a police-force shall without the express sanction of the Central Government or of the prescribed authority,-

(a) be a member of, or be associated in any way, with any trade union, political association or with any class of trade unions, labour unions or political associations; or

(b) be a member of, or be associated in any way with, any other society, institution association or organization that is to recognized as part of the force of which he is member or is not a purely social, recreational or religious nature; or

(c) Communicate with the press or publish or cause to be published any book, letter or other document except which such communication or publication is in the bonafide discharge of his duties or is of a purely literary, artistic or scientific character or is of a prescribed nature.

...............3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

.........3........

3(2) No member of a police force shall participate in, addresses, any meeting or take part in any demonstration organized by any body of persons for any political purpose or for such other purposes as any be prescribed."

6. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में तथा होमगार्ड्स स्वयंसेवकों द्वारा निष्पादित की जा रही महत्वपूर्ण संवेदनशील ड्यूटियों में अनुशासन की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि होमगार्ड्स स्वयंसेवक और अवैतनिक अधिकारी पुलिस बल (अधिकारों का प्रतिबन्ध) अधिनियम-1966 में परिभाषित पुलिस बल के सदस्य के अन्तर्गत आते हैं तथा उन पर इस अधिनियम में प्राविधानित संघ बनाने तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य में प्रतिबन्ध लागू होते हैं।

7. उक्त परिप्रेक्ष्य में आपके पत्र संख्या-3668/कार्मिक/प्रस्ताव-39/2017 (पार्ट) दिनांक 06 मई, 2020 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि होमगार्ड्स स्वयंसेवकों और अवैतनिक अधिकारियों से यह अपेक्षित है कि उनका कोई भी कृत्य उक्त अधिनियम के प्राविधानों के विपरीत नहीं होगा तथा किसी भी अवैधानिक कृत्य की स्थिति में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,
अनिल कुमार
प्रमुख सचिव।

संख्या-25/2020/849(1)/पन्चानबे-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त डिप्टी कमाण्डेण्ट जनरल, होमगार्डस, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
3. समस्त जिला कमाण्डेण्ट होमगार्डस, उ0प्र0।
4. समस्त कमाण्डेण्ट, मण्डलीय प्रशिक्षण केन्द्र, होमगार्डस, उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
निर्मला श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>संख्या-238/पन्चानबे-2023-90 होगा/90</u>

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्डस, उ०प्र०,
लखनऊ।

होमगार्डस अनुभाग लखनऊ: दिनांक 13/02/2023

विषय: उ०प्र० होमगार्डस विभाग के मानदेय प्राप्त अवैतनिक अधिकारियों के पदों की दिनांक 01.03.2023 से <u>29.02.2024 तक निरन्तरता प्रदान करने के संबंध में</u>।

महादेय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-10379/कार्मिक/सूचना-159/2006 दिनांक 21 नवम्बर, 2022 एवं पत्र संख्या-948/सूचना-159/2006 (पार्ट-1), दिनांक 06.02.2023 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महासमादेष्टा, होमगार्डस मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित विवरण के अनुसार होमगार्डस विभाग में विद्यमान अस्थाई एवं मानदेय प्राप्त अवैतनिक अधिकारियों के स्वीकृत पदों की दिनांक 01 मार्च, 2023 से 29 फरवरी, 2024 तक की निरन्तरता प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं, बशर्ते इन पदों को कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाय:-

क्र०सं०	पदनाम	स्वीकृत पद
1	अवैतनिक कम्पनी कमाण्डर (मानदेय प्राप्त)	1138
2	अवैतनिक सहायक कम्पनी कमाण्डर (मानदेय प्राप्त)	1138
3	अवैतनिक प्लाटून कमाण्डर (मानदेय प्राप्त)	3414

3. उपर्यक्त से सम्बन्धित व्यय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-74 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-आयोजनेत्तर-107-होमगार्डस संगठन की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

भवदीय

Signed by
Date: 13-02-2023 11:45:13
Reason: Approved

(अनिल कुमार)
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या-238(1)पन्चानबे-2023, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, अाडिट/लेखा, प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।

(2) महानिदेशक, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, ईस्ट ब्लाक-VII, लेवल-7, आर०के०पुरम,

(3) सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली।

(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12

(5) गार्डबुक।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
उप सचिव

संख्या-12/2023/245/पन्चानबे-2023

प्रेषक,

पद्माकर शुक्ला,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महासमादेष्टा,
होमगार्ड्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

होमगार्ड्स अनुभाग लखनऊ: दिनांक 20 मार्च, 2023

विषय- होमगार्ड्स विभाग के वैतनिक/अवैतनिक संवर्ग के समस्त पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को ''इन्सिग्निया''(सम्मान सूचक चिह्न) धारण किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-461/लेखा/वर्दीप्रतिपूर्ति भत्ता-82/2013, दिनांक 17.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा होमगार्ड्स विभाग के वैतनिक एवं अवैतनिक संवर्ग के समस्त वर्दीधारी पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को अपनी वर्दी पर ''इन्सिग्निया'' (सम्मान सूचक चिह्न) धारण किये जाने हेतु अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश होमगार्ड्स विभाग के वैतनिक एवं अवैतनिक संवर्ग के समस्त पदाधिकारियों एवं स्वयंसेवकों को सम्मान सूचक साज-सज्जा के रूप में अपनी वर्दी के दाहिने हिस्से में नेम प्लेट के ऊपर "इन्सिग्निया" (सम्मान सूचक चिन्ह) धारण किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है। उक्त "इन्सिग्निया" (सम्मान सूचक चिन्ह) का विवरण निम्नांकित है:-

<u>1- सम्मान सूचक चिह्न/प्रतीक चिह्न- धातु संस्करण</u>

धातु संस्करण सुनहरी रूपरेखा के साथ उच्च श्रेणी के पीतल से बना होगा। इसकी ऊँचाई 2 इंच, चौड़ाई 1.76 इंच, अशोका ऊँचाई 0.73 इंच सुनहरे पीले में सुनहरी रूपरेखा के साथ, "सत्यमेव जयते" हिन्दी में अशोक चिह्न के नीचे, पत्तियों की लम्बाई 1.10 इंच सुनहरे पीले में सुनहरी रूपरेखा के साथ, मछली की लम्बाई 0.66 इंच सुनहरे पीले में सुनहरी रूपरेखा के साथ लाल पार्श्वभूमि में, रिबन की लम्बाई 1.76 काले रंग में। रिबन में काले रंग की लम्बाई 1.5 इंच सुनहरी रूप रेखा के साथ। उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (हिन्दी में) रिबन पर सुनहरे रंग में होगा। सम्मान प्रतीक चिह्न (इन्सिग्निया) के पीछे धातु का पिन लगा होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- सम्मान सूचक चिह्न/प्रतीक चिह्न- कढ़ाई संस्करण-

कढ़ाई संस्करण काली पार्श्वभूमि के साथ उच्च गुणवत्ता के मखमल से बना होगा। कुल ऊँचाई 3.00 इंच, चौड़ाई 2.60 इंच (नीचे), अशोक प्रतीक ऊँचाई 1.03 इंच सुनहरी जरी और काले धागे में। "सत्यमेव जयते", अशोक चिह्न के नीचे सुनहरी शीट पर छपा हुआ। पत्तियों की लम्बाई 1.80 इंच सुनहरी जरी में। मछली की लम्बाई 01.00 इंच सुनहरी जरी और काले धागे में लाल मखमली कपड़े की पार्श्वभूमि के साथ, रिबन की लम्बाई 2.75 इंच, काले रंग के मखमल में रजत और सुनहरी रूपरेखा के साथ। उत्तर प्रदेश होम गार्ड्स (हिन्दी में) रिबन पर रजत जरी में होगा। सम्मान प्रतीक चिह्न (इन्सिग्निया) के पीले धातु का पिन लगा होगा।

भवदीय,
पद्माकर शुक्ला
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in